न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–VI-सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), सहरसा
उपस्थिति–राकेश कुमार राकेश
अग्रिम जमानत आवेदन A.B.A-No.–107 / 2026
थाना–बैजनाथपुर कांड सं0–131 / 2025
Phekan Ram @ Fekan Vs. State
1

फेकन राम उर्फ फेकन.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

आवेदक की ओर से–श्री मोहन कामत (विद्वान अधिवक्ता)

अभियोजक–श्री शिवेन्द्र प्रसाद (विद्वान प्रभारी विशेष लोक अभियोजक)

सूचक की ओर से–श्री दीपक ठाकुर (विद्वान अधिवक्ता)

आदेश–04.05.2026

आवेदक अभियुक्त–फेकन राम उर्फ फेकन की ओर से धारा–482 बी0 एन0 एस0 एस0 के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन थाना–बैजनाथपुर कांड सं0–131 / 2025 अंतर्गत धारा–137(2) बी0 एन0 एस0 में जमानत हेतु, अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, पटना या इस न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत झूठे कांड में फंसाया गया है। लगाया गया धारा आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लागू नहीं होता है। आवेदक अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है और वह मजदूरी करता है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार जमानत बंध पत्र / प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान प्रभारी विशेष लोक अभियोजक उपस्थित होकर अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं एवं निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–137(2) बी0 एन0 एस0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है एवं आवेदक अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य है, इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

सूचक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित होकार अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा उनके द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध जघन्य अपराध है, इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय तथा उनके द्वारा लिस्ट के साथ कागजात भी दाखिल किया गया है।

दोनों पक्षों को सुना।

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–VI-सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), सहरसा
उपस्थिति–राकेश कुमार राकेश
अग्रिम जमानत आवेदन A.B.A-No.–107/2026
थाना–बैजनाथपुर कांड सं0–131/2025
Phekan Ram @ Fekan Vs. State
2

लगातार
04.05.2026

प्राथमिकी अनुसार संक्षेप में अभियोजन कांड यह है कि दिनांक–26.11.2025 को समय करीब 12:40 बजे सूचक और उसकी छोटी बहन/पीड़िता उम्र करीब 16 वर्ष 12वीं की परीक्षा देने हेतु कॉलेज गये थे। परीक्षा देकर सूचक एवं उसकी छोटी बहन/पीड़िता कॉलेज गेट के पास सड़क के किनारे खडे थे, तो उसी समय पिन्टु शर्मा मोबाईल नं0–62XXXXXX46 मोटर साइकिल लेकर आया और बोला घर जाना है क्या, मैंने बोला कि हॉ भाई, तब सूचक और उसकी छोटी बहन/पीड़िता मोटर साइकिल पर बैठ गये, कुछ दूर जाने के बाद सरकारी स्कूल से पीछे मोटर साइकिल रोक दिया, तब तक एक स्कॉर्पियो उजला रंग से चार लड़का मुँह पर मास्क लगाया हुआ उतरा और पिस्टल सटा दिया और बोला की हल्ला करोगे तो जान से मार देंगे। स्कॉर्पियो में बैठे चारों व्यक्ति जिसमें दो व्यक्ति को पहचान गये, जिसका नाम फेकन एवं रूपेश है। फेकन का मो0 नं0–82XXXXXX99 है एवं रूपेश का मो0 नं0–62XXXXX33 है, जो पिन्टु शर्मा का दोस्त है। सभी ने सूचक की बहन को जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बैठाने लगा। सूचक ने विरोध किया तो सभी ने मिलकर सूचक के साथ मारपीट किया। पिन्टु शर्मा एवं सभी के हाथ में पिस्टल था और उन्होंने सूचक को कहा कि ज्यादा हल्ला करोगे तो यही मार देंगे, डर के मारे सूचक नहीं बोला, बाद में सूचक को भी स्कॉर्पियो पर बैठा कर मठाही के आस–पास ले जाकर छोड़ दिया। सूचक को पूर्ण विश्वास है कि सूचक के बहन को फिरौती लेने के लिए अपहरण कर लिया गया। सूचक को आशंका है कि सूचक के बहन को जान से भी मार सकता है।

अभिलेख के साथ संलग्न कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के कंडिका–02 में वादी का पुनः बयान अंकित है, जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–03 में अन्य साक्षी ने अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–35 में पर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित है, जिसमें अंकित है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–137(2), 96, 3(5) बी0 एन0 एस0 एवं धारा–08, 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सत्य प्रतीत होता है। कांड दैनिकी के साथ पीड़िता का केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अंक विवरणिका सह प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें पीड़िता का जन्म तिथि–14.11.2008 अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि घटना के समय पीड़िता नाबालिक थी। आवेदक अभियुक्त यह जानते हुए की पीड़िता नाबालिक है, उस नाबालिक पीड़िता को आवेदक अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर जबरदस्ती अपहरण किया है, जो समाज के लिए घृणित एवं जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। सूचक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदक अभियुक्त द्वारा

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–VI-सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), सहरसा
उपस्थिति–राकेश कुमार राकेश
अग्रिम जमानत आवेदन A.B.A-No.–107 / 2026
थाना–बैजनाथपुर कांड सं0–131 / 2025
Phekan Ram @ Fekan Vs. State
3

लगातार
04.05.2026

किये गये व्हाट्सप चैटिंग का कागजात दाखिल किया गया है, जिसमें अंकित है कि *हम फेकन बोले छियो केस उठा ले न तो बहुत दिक्कत भे जेतो, न तो सब पे हरिजन केस लगा देबो, घर से उठा लेबो सब के, तोरा पीछे आदमी लगल छियो, लास्ट बार बोले छियो केस उठा ले।* आवेदक अभियुक्त के विरूद्व अनुसंधान जारी है। आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने पर कांड के साथ छेड़छाड़ करने, साक्षियों को डराने–धमकाने एवं साक्षियों को प्रलोभन देने की प्रवल संभावना है, क्योकि आवेदक अभियुक्त के विरूद्व अभी अनुसंधान जारी है।

तदनुसार, उपरोक्त समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियों एवं अनुसंधान को जारी रहने को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक अभियुक्त–फेकन राम उर्फ फेकन का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

sd/-
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)
सहरसा

Date of Judgment/ Order	04.05.2026
Date of Reserving Judgment/Order	N/A
Uploding Date	06.05.2026
Uploaded by	Alok Kumar (Steno)